कतर जाने वाले भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए

सूचना पुस्तिका

द्वारा प्रकाशितः

© सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

173-A, खिड़की गांव, मालवीय नगर,
नई दिल्ली - 110017
टेलिफोन : 91-11-29541858 / 1841
वेबसाइट : www.cec-india.org
ईमेल : cec@cec-india.org

सहयोग से:

यूनिसन इंटरनैशनल डेवलपमेंट फंड

ऐन्टी स्लेवरी इंटरनैशनल

भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन (बीएनकेएमयू)

व्यक्तिगत विवरण

नाम : ....

पता : ....

....

फोन : .... मोबाइल : ....

ईमेल : ....

पासपोर्ट नम्बर : ....

पासपोर्ट समाप्ति तारीख : ....

ब्लड ग्रुप : ....

कतर में रोजगार पाने के इच्छुकों, मौजूदा प्रवासी मजदूरों, वापस आ चुके मजदूरों और उनके परिवार वालों को सही जानकारियां मुहैया कराना इस सूचना पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है। इसमें बताया गया है कि कतर में काम करने वाले प्रवासी भारतीय मजदूरों को कौन-कौन से अधिकार मिलने चाहिए और अगर इन अधिकारों की अवहेलना होती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उनकी कैसे रक्षा की जा सकती है?

यह पुस्तिका इस बारे में भी जानकारियां देती है कि कतर में प्रवासी मजदूरों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिएं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संपर्कों की सूची भी दी गई है। लिहाजा, कतर में रहने और काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को यह पुस्तिका हमेशा अपने पास रखनी चाहिए।

इस पुस्तिका के निम्नलिखित भाग हैं:

1. अपने बारे में जरूरी सूचनाएं भरें
2. रवानगी से पहले
3. आगमन पर
4. अपने अधिकार जानें
5. कतर में सावधानियां
6. वापसी/कॉन्ट्रेक्ट खत्म होने पर
7. कतर में उपयोगी संपर्क

पीबीबीवाई पॉलिसी संख्या एवं जारी करने की तारीख : ....

....

पीबीबीवाई पॉलिसी जारी करने वाला विभाग : ....

....

एनआरई/एनआरओ (NRE/NRO) बचत बैंक खाता नम्बर :

....

बैंक का नाम : ....

शाखा : ....

आईएफएससी (IFSC)..

कौशल प्रमाणन : ....

....

भर्ती एजेंट का नाम : ....

एजेंट का फोन नम्बर : ....

एजेंट का पता : ....

यहां आपात स्थिति में संपर्क के लिए अपने परिवार के सदस्यों/ रिश्तेदारों का ब्यौरा लिखें :

(1) नाम : ....

संबंध : ....

पता : ....

टेलीफोन : ....

(2) नाम: ....

संबंध : ....

पता: ....

टेलीफोन: ....

कतर में

नियोक्ता/मालिक का नाम : ....

नियोक्ता का पता : ....

आपका पता : ....

आपका मोबाइल नम्बर : ....

आपका स्वास्थ्य बीमा : ....

बैंक खाते का ब्यौरा : ....

कार्य अनुबंध (contract) की प्रारंभ तिथि : ....

कार्य अनुबंध (contract) की समाप्ति तिथि : ....

कतर में प्रवेश की तारीख : ....

वीजा समाप्ति तारीख : ....

रेजिडेंस परमिट/IQAMA आईडी संख्या : ....

....

रेजिडेंस परमिट/IQAMA समाप्ति तारीख : ....

याद रखें :

- भारत का समय कतर से 2:30 घंटे आगे चलता है।
- कतर के लिए डायलिंग कोड 00-974 अथवा +974 है।
- भारत के लिए डायलिंग कोड 00-91 अथवा +91 है। कतर से किसी भारतीय नम्बर पर फोन मिलाने के लिए पहले 0091 डायल करें और उसके बाद अपने इलाके का कोड और उसके बाद फोन नम्बर डायल करें। किसी मोबाइल नम्बर पर फोन मिलाने के लिए 0091 या +91 डायल करें और उसके बाद 10 अंकों वाले मोबाइल नम्बर को डायल करें।
- कतर में पुलिस, फायर (अग्नि शमन) या एम्बुलेंस सेवा के लिए हेल्पलाइन नम्बर 999 है।

आपातकालिक संपर्क (भारत)

ऑफिस : प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

पता : अकबर भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021

टेलीफोन : +91-11-24197900 फैक्स : +91-11-24197919

ईमेल : info@moia.nic.in

आपातकालिक संपर्क (कतर)

ऑफिस : भारतीय दूतावास

पता : विला नम्बर 19, स्ट्रीट नम्बर 828

एरिया नम्बर 42, वाडी अल नील, ओल्ड हिलाल एरिया, पोस्ट बॉक्स 2788, दोहा, कतर

टेलीफोन : 00-974-44255704

24 घंटे हेल्पलाइन : **00-974-55572871**

ईमेल : dcm.doha@mea.gov.in; labourofficer@qatar.net.qa

भाग 2 : रवानगी से पहले

क्या करें

- कतर के श्रम कानूनों और कार्य एवं जीवन परिस्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें। ऐसे लोगों से सलाह और जानकारी लें जो हाल ही में कतर में काम कर चुके हैं।
- नौकरी दिलाने के झूठे वादों से बचकर रहें। अकसर ऐसा होता है कि भारत में आपको नौकरी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें दी गई तनख्वाह और काम का ब्यौरा कतर में आपको मिलने वाले रोजगार अनुबंध में दी गई तनख्वाह और काम के ब्यौरे से अलग होता है। नौकरी लेने से पहले ये सारी बातें एजेंट से अच्छी तरह पता कर लें।
- अनुबंध, भर्ती एजेंट और नियोक्ता की विश्वसनीयता के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने, भारत और कतर के रोजगार अनुबंध में फर्क, काम के दौरान लगने वाली चोट और विकलांगता, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों और तनख्वाह में नाजायज कटौती की सूरत में इनसे सलाह लें :

क) **प्रवासी संरक्षक (प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स - पीओई) - आपके क्षेत्र का पीओई दफ्तर रायबरेली में स्थित है।**

पता : पहली मंजिल, रुद्र प्लाजा, हॉस्पिटल रोड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

टेलीफोन : 0535-2211122/2211123

ख) **प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र एवं प्रवासी संसाधन केंद्र (ओवरसीज़ वर्कर्स रिसोर्स सेंटर ऐण्ड माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर)**

टोल फ्री नम्बर : 1800-11-3090 (भारत के लिए)

भुगतानशुदा/शुल्क कॉल नम्बर : +91-124-2341002 (विदेश में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए)

ईमेल : helpline@owrc.in, helpline@moia.nic.in

प्रवासी संसाधान केंद्र, लखनऊ, NRI सेल, UPFC ऑफिस,
18 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ – 226001
टेलिफोन : 0522-4954646

- सुरक्षित प्रवासन के बारे में सलाह और सहायता लेने के लिए निम्नलिखित ट्रेड यूनियन से संपर्क करें :

  भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन (बीएनकेएमयू)
  पता : 617/3, भीम नगर उजारियन, गोमती नगर,
  लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश
  टेलीफोन : 91 9554271852
  ईमेल : karmkarmajdoorunion@gmail.com

- रवाना होने से पहले आपके पास ये दस्तावेज जरूर होने चाहिएं :

  - ☐ अंतिम रोजगार अनुबंध जिसमें आपके काम की पाली/घंटों की संख्या, आपको कहां, क्या काम करना है, तनख्वाह, आवास और भोजन भत्ते, छुट्टियों और दूसरी बातों का पूरा ब्यौरा दिया गया हो।
  - ☐ रोजगार वीजा; कतर में आप 'आजाद' या फ्री वीजा के सहारे नौकरी नहीं कर सकते। यानी अगर आपके वीजा में आपके काम/मालिक का ब्यौरा नहीं दिया गया है तो आप वहां काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह, अगर आप यात्रा वीजा या पर्यटन वीजा पर गए हैं तो भी आप वहां काम नहीं कर सकते।
  - ☐ भारत के किसी बैंक में बचत बैंक एनआरई खाता खोलें ताकि उसमें अपनी आय भेज सकें।
  - ☐ कतर जाने के लिए एक वैध हवाई यात्रा टिकट।

- इस बात का खयाल रखें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि रजिस्टर्ड एजेंट, पीओई तथा भारत सरकार द्वारा की गई हो।
- अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां जरूर साथ रखें :
  - ☐ पासपोर्ट
  - ☐ रोजगार वीजा
  - ☐ रोजगार अनुबंध/डिमांड लेटर
  - ☐ पैसा भेजने के लिए भारत के बैंक और खाते का ब्यौरा
  - ☐ प्रवासी भारतीय बीमा योजना, पीबीबीवाई (पॉलिसी दस्तावेज)
  - ☐ भारतीय भर्ती एजेंट से संपर्क का पूरा ब्यौरा
  - ☐ कतर स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क का विवरण
  - ☐ यदि उपलब्ध हो तो नियोक्ता का विवरण।
- इन सारे दस्तावेजों की प्रतियां अपने परिवार के पास भी जरूर छोड़कर जाएं।
- कतर के लिए यात्रा पर रवाना होने से पहले सुनिश्चित करें कि :
  - ☐ आपका नाम और जहां आपको पहुंचना है उस जगह का पता आपके मुख्य बैग/सामान पर लगी पट्टी पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
  - ☐ अपने बैग/सामान पर एक छोटा पेडलॉक लगाएं और उसकी चाबी अपने हैंडबेग में रखें।
  - ☐ आपके सफरी कपड़े आरामदेह हों और कतर के माहौल के लिए सांस्कृतिक रूप से अनुकूल हों।
  - ☐ आप हमेशा कुछ पैसा (अमेरिकी डॉलर में) साथ रखें।

ऐसा कतई ना करें -

कतर के लिए रवानगी की तैयारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखें :

- ☐ बैग/सामान का भार यात्रा टिकट में दी गई भार सीमा से ज्यादा न हो।
- ☐ हैंड लगेज का वजन 7 किलो से ज्यादा बिलकुल न हो।
- ☐ अपनी दवाई के साथ डॉक्टरका पर्चा जरूर साथ रखें।
- ☐ हैंड लगेज में निषिद्ध वस्तुएं (जैसे, नुकीली/पैनी चीजें, शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ या बहुत सारा द्रव्य) न ले जाएं।
- ☐ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु (शराब, मादक पदार्थ, शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, अश्लील/पॉर्नोग्राफिक सामग्री , सुअर के मांस से बने उत्पाद या कोई पशु) अपने मुख्य लगेज में न ले जाएं।

भाग 3 : आगमन पर

ऐसा करें

- ☐ अच्छी तरह देख लें कि आपके पासपोर्ट पर आगमन के सबूत के तौर पर इमिग्रेशन मुहर लगी हुई हो।
- ☐ निर्धारित लगेज बेल्ट से अपना सही लगेज लें। अगर आपका लगेज गायब है तो आप गुमशुदा लगेज काउंटर से जाकर मदद मांग सकते हैं।

- [ ] स्थानीय एजेंट की सलाह के अनुसार विदेशी एजेंट प्रतिनिधि या नियोक्ता से मिलें। आप सही व्यक्ति से मिल रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान की पुष्टि करें।
- [ ] अपने परिवार को सूचित करें कि आप सुरिक्षत पहुंच गए हैं।
- [ ] कतर में अपने संपर्कों की एक प्रति अपने पास रखें और अपने परिवार को इन चीजों का ब्यौरा भेजें :
  - अपने नियोक्ता का पता
  - आपके कार्यस्थल से संबंधित सूचना
  - छात्रावास या स्थानीय पता
  - आपका फोन नम्बर
- [ ] अगर आपको कतर में पहुंचने पर नए अनुबंध पर दस्तखत करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस बात की पुष्टि कर लें कि इस अनुबंध में भी वही सेवा शर्तें और तनख्वाह बताई गई हो जो रवाना होने से पहले भारत में आपको बताई गई थीं। अगर आपको किसी तरह का संदेह होता है तो कतर स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
- [ ] दोहा स्थित भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में जाएं और
  - अपने रोजगार अनुबंध की पुष्टि कराएं।
  - अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मांगें।
  - अपने सभी दस्तावेजों की प्रतियां और स्थानीय विवरण वहां जमा कराएं।
- [ ] अपने दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें।
- [ ] कतर स्थित भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराएं। इसके लिए आप www.indianembassyqatar.org पर जाकर अपना

पंजीकरण करा सकते हैं।

- ☐ आपको अपनी चिकित्सा जांच करानी होगी। अगर आपको इस मेडिकल जांच में अयोग्य पाया जाता है तो आपको वापस भारत भेज दिया जाएगा।
- ☐ रेजिडेंस परमिट (आवास परमिट) हासिल करें। इसे वर्क परमिट या IQAMA भी कहा जाता है। यह आपको अपने नियोक्ता की ओर से बनवा कर दिया जाएगा। कतर में रहने वाले विदेशियों के लिए यह एकमात्र वैध पहचान दस्तावेज है। उनकी पहचान और उनके आवास के अधिकार का यही साक्ष्य होता है। अगर आपके पास यह कार्ड नहीं है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको जेल भेजा जा सकता है। जब आपका अनुबंध पूरा हो जाएगा तो कतर से वापस लौटने के लिए भी आपको इसकी जरूरत होगी।
- ☐ अपने पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट की प्रतियां अपने पास रखें। आप उनकी फोटो खींचकर फोन में भी रख सकते हैं।
- ☐ रेजिडेंस परमिट पाने पर आप अपने फोन के लिए सिम कार्ड ले सकते हैं।
- ☐ आपके नियोक्ता को आपका रेजिडेंस परमिट बनवाने के लिए आपके पासपोर्ट की जरूरत होगी मगर जैसे ही यह कार्रवाई पूरी हो जाए, आपको अपना पासपोर्ट वापस ले लेना चाहिए।

क्या न करें :

- ☐ कतर में अपने प्रवास के दौरान
    - अनुवाद या सलाह के बिना किसी दस्तावेज पर दस्तखत न करें।
    - भर्ती एजेंट/नियोक्ता को किसी तरह की फीस का भुगतान न करें।

- पासपोर्ट और वर्क परमिट जैसे कोई भी दस्तावेज किसी के भी हवाले न करें।
- आपके रोजगार अनुबंध में जिस नौकरी का उल्लेख किया गया है, उसके अलावा कोई और नौकरी न करें।
- रेजिडेंस परमिट या बीमा हासिल करने के लिए अपने नियोक्ता/प्रायोजक को कोई फीस न दें।
- खयाल रखें कि आपका पासपोर्ट कभी भी गुम न हो (अगर आपका पासपोर्ट किसी वजह से गुम हो जाता है तो नजदीकी भारतीय दूतावास को फौरन सूचित करें और उन्हें अपने पासपोर्ट की एक प्रति जमा कराएं)।
- भारत में आपको जो रोजगार अनुबंध दिया गया था उसकी प्रति बिलकुल गुम न होने दें।

भाग 4 : अपने अधिकार जानें

आपकी नौकरी और तनख्वाह

- आपको अधिकार है :
  - ➢ अपना पासपोर्ट, वर्क/रेजिडेंस परमिट और रोजगार संबंधी दस्तावेज अपने पास रखने का।
  - ➢ ऐसे काम से इनकार करने का जो अनुबंध में उल्लिखित काम के स्वरूप से भिन्न है।
  - ➢ आपको अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कतरी रियाल (क्यूआर) में तनख्वाह पाने का। अगर आपका नियोक्ता आपकी तनख्वाह रोककर रखता है या उसमें से गैर-वाजिब कटौतियां करता है तो ऐसा करना गैर-कानूनी है।
  - ➢ अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं, आपने नौकरी छोड़ दी है या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो भी आपको भुगतान किया जाना चाहिए।
- कतर में रहने वाले प्रवासी मजदूर के तौर पर आप कतरी श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि :
  - ➢ आप एक सप्ताह में 6 दिन या 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे।
  - ➢ आप प्रतिदिन 8 घंटे (मानक कार्य दिवस) काम करेंगे और उसके बीच आपको लंच, प्रार्थना/नमाज आदि के लिए एक घंटे का ब्रेक दिया जाएगा।
  - ➢ अगर आप ओवरटाइम काम करते हैं तो आपको अतिरिक्त वेतन मिलेगा (बेसिक वेतन + उसका कम से कम 25 प्रतिशत)।

- आपका नियोक्ता आपको प्रतिदिन 10 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- अगर आप शिफ्ट वर्कर नहीं हैं तो आपको हर शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी। अगर आप शुक्रवार के दिन काम करने को राजी हैं तो आपको बदले में किसी और दिन छुट्टी मिलेगी या उस दिन की बेसिक सेलरी तथा उसका 150 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा (मिसाल के तौर पर, अगर आपकी तनख्वाह QR 100 है तो उस दिन के बदले आपको QR 250 का भुगतान होना चाहिए।)
- आपको लगातार दो शुक्रवार को काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- बाहरी कार्यों में संलग्न निर्माण मजदूर के तौर पर आपको अधिकार है कि आप 15 जून से 31 अगस्त तक सुबह 11.30 बजे से शाम 3.00 बजे तक काम नहीं करेंगे। इसे वहां मिड डे वर्क बैनका नियम कहा जाता है।
- आपके प्रोबेशन की अवधि को 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता।

• कतरी श्रम कानून के तहत आपके नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि :

- वह आपको काम पर भेजने से पहले कार्यस्थल पर पेश आने वाले संभावित खतरों के बारे में जानकारी दे।
- अगर कंपनी में 100 से ज्यादा कामगार हैं तो आपको सुरक्षा संबंधी निर्देश, सुरक्षा एवं फर्स्ट ऐड उपकरण और पूर्णकालिक नर्स की सेवाएं उपलब्ध कराए।

छुट्टियां :

- आपको अधिकार है :
  - ➢ पूरी तनख्वाह सहित सभी सार्वजनिक अवकाश पाने का।
  - ➢ हर साल 3-4 सप्ताह सवेतन छुट्टी का, जो अनुबंध तथा सेवा की अवधि पर निर्भर करेगा; यह प्रावधान एक साल की लगातार नौकरी पूरी होने पर प्रभावी हो जाता है।
  - ➢ आपको 3 महीने काम करने के बाद वेतन सहित बीमारी छुट्टी दी जाएगी (इसके लिए डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा)।
  - ➢ साल भर में आपको अधिकतम दो हफ्ते की वेतन सहित बीमारी छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आपको आधी तनख्वाह सहित चार हफ्ते की अतिरिक्त छुट्टी भी मिल सकती है।
  - ➢ अगर कोई महिला कामगार एक साल से ज्यादा काम कर चुकी है तो उसे 50 दिन की वेतन सहित जचगी छुट्टी दी जाएगी।

अस्पताल में इलाज और बीमा

- कतरी श्रम कानूनों के तहत आपके मालिक की जिम्मेदारी है कि :
  - ➢ अगर आप काम के दौरान घायल होते हैं तो वह आपके इलाज की पूरी लागत उठाएगा और चोटों के बदले पूरा आर्थिक मुआवजा अदा करेगा।
  - ➢ डॉक्टर की सलाह के मुताबिक किसी कार्य संबंधी चोट या व्यावसायिक बीमारी के पूरे इलाज के दौरान आपकी तनख्वाह का भुगतान करेगा।

- ➢ चोट लगने पर पुलिस और भारतीय दूतावास के श्रम एवं समाज कल्याण विभाग को सूचित करेगा; आपकी ओर से भी दोनों जगह यह सूचना जानी चाहिए।

- निर्धारित अस्पतालों और क्लीनिकों में उपचार व दवाइयों के लिए आपको अपने हेल्थ कार्ड के अनुसार छूट और सुविधाएं मिलनी चाहिएं। आपको कुछ चीजों का उपचार निशुल्क मिलेगा या उनके लिए आपको बहुत मामूली फीस देनी होगी।
- आप पीबीबीवाई बीमा योजना के तहत फीस दिए बिना अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं और अगर भारत में इलाज कराया गया है तो इलाज के बिलों का रीइम्बर्समेंट यानी भुगतान ले सकते हैं।
- पीबीबीवाई टोल फ्री नम्बर **1-800-103-5499** है।
- किसी मजदूर की स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में आपको या आपके द्वारा नामित व्यक्ति को पीबीबीवाई के तहत न्यूनतम 10 लाख रुपये मुआवजा पाने का अधिकार है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
- कतरी श्रम कानून के तहत नियोक्ता/प्रायोजकों के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराएं ताकि उनकी कार्य संबंधी चोटों व बीमारियों की भरपाई की जा सके। इस बारे में नवीनतम जानकारियां लेते रहें।

विवाद

- कार्यस्थल संबंधी विवाद
  - ➢ कतरी श्रम कानून में प्रवासी मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने पर आपको वापस भेजा जा

सकता है या फिर आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करें।

- ➢ आपको जो रोजगार अनुबंध दिया गया है वह अंग्रेजी और अरबी, दोनों भाषाओं में होना चाहिए। भारतीय दूतावास या श्रम विभाग में दोनों दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच और पुष्टि करा लें ताकि दोनों में कोई भिन्नता न हों। यदि काम से संबंधित कोई भी विवाद पैदा होता है तो अरबी भाषा का अनुबंध ही वैध माना जाएगा।
- ➢ अगर तनख्वाह का भुगतान न होने या तनख्वाह में से नाजायज कटौतियां होने, छुट्टियों, अनुबंध की शर्तों, वर्क परमिट आदि को समय से पहले रद्द कर दिए जाने, काम पर लगी चोट या व्यावसायिक बीमारी के संबंध में नियोक्ता/प्रायोजक के साथ किसी भी तरह का विवाद होता है तो भारतीय दूतावास और श्रम विभाग से फौरन संपर्क करें।
- ➢ अगर कार्यस्थल संबंधी नियमों का उल्लंघन करने या मालिक की मशीनरी/उपकरणों को नुकसान पहुंचाने के बदले में आप पर जुर्माना लगया जाता है (जिसके लिए आपको लिखित सूचना मिलनी चाहिए) तो आप इस जुर्माने के खिलाफ नियोक्ता के समक्ष 7 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। अगर मामला हल नहीं होता है तो आप श्रम विभाग में अपील कर सकते हैं।

- अन्य विवाद :
  - ➢ अगर आपको पुलिस द्वारा रोका या गिरफ्तार किया जाता है तो पूछे जाने पर अपना सही नाम, पता और अन्य विवरण बताएं। अपना रेजिडेंस परमिट दिखाएं मगर उसे पुलिस के हवाले न

करें। ऐसी स्थिति में आप मदद के लिए भारतीय दूतावास या अपने नियोक्ता या किसी दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति/संगठन से मदद मांग सकते हैं।

- ➢ दबाव में कोई बयान न दें और न ही किसी ऐसे अपराध का दोष स्वीकार करें जिसके बारे में आप नहीं जानते। जब तक आपका वकील नहीं आता तब तक आप कोई बयान न देने का फैसला ले सकते हैं। अगर आपको अदालत ले जाया जाता है तो भारतीय दूतावास से सलाह लें। कानूनी कार्रवाई अरबी भाषा में की जाती है। ऐसी स्थिति में अनुवादक यानी दुभाषिये की मांग करें।
- ➢ यदि आपके प्रायोजक ने आपका वर्क परमिट निरस्त कर दिया है तो आप एनएचआरसी के आंतरिक मानवाधिकार विभाग मंत्रालय से 180 दिन के अस्थायी वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं। कतर में वीजा के बिना बिल्कुल न रुकें।

- सभी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों की स्थिति में आपको कतर स्थित भारतीय दूतावास, कतर श्रम विभाग, एनएचआरसी या कतर फाउंडेशन से जरूर संपर्क करना चाहिए।

क. कतर श्रम विभाग

- ✓ पता : सी रिंगरोड, रावदत अल खेल, दोहा, कतर
- ✓ टेलीफोन : (+974) 4406 554 or (+974) 4406 406 (भवन एवं निर्माण)
- ✓ फैक्स : 4406556
- ✓ हॉटलाइन : **8800-6611**(टोल फ्री) : प्रतिदिन 24 घंटे सक्रिय, केवल अरबी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध।

✓ ईमेल : labour_camp@mcsah.gov.qa

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति (नैशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी - एनएचआरसी)

✓ पता : फेरीज अब्दुल्ला अजीज एरिया (दोहा पेट्रोल स्टेशन के सामने), नासेर बिन खालिद इंटरसेशन डायरेक्शन, ओटाबी टावर, पोस्ट बॉक्स 23104

✓ टेलिफोन: (+974) 4408 844

✓ फैक्स: (+974) 444 4013

✓ हैल्पलाइन: **00-974-4444-4012**

✓ हॉटलाइन: **(+974) 666 26663**

✓ ईमेल: nhrc@qatar.net.qa

ग. कतर फाउंडेशन फॉर कॉम्बेटिंग ह्यूमन ट्रेफिकिंग (कतर मानव व्यापार विरोधी फाउंडेशन)

✓ पता: P.O. Box 55466 Doha, Qatar

✓ टेलिफोन: +974 4491 2888

✓ फैक्स: +974 4466 9222

✓ हॉटलाइन: **108**

✓ ईमेल: Info@qfcht.org.qa

✓ वेबसाइट: www.qfcht.org

- इस संबंध में आप वॉट्सऐप पर संदेश भेजकर बीएनकेएमयू से भी सलाह मांग सकते हैं :

घ. भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन (बीएनकेएमयू)

✓ मोबाइल: +91-9839231816 (वॉट्सऐप)

✓ ईमेल : help.bnkmu@gmail.com

- दोहा में भारतीय दूतावास का संपर्क पता भाग 1 में दिया गया है।

भारतीय दूतावास में अन्य महत्वपूर्ण संपर्कों और कतर में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) की सूची के लिए भाग 7 को देखें।

भाग 5 : कतर में इन बातों का ख्याल रखें

क्या करें :

- अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप बीमार पड़ते हैं और आप काम पर नहीं जा पाते हैं तो डॉक्टर से जांच कराएं और आराम करें। जल्दी से जल्दी नियोक्ता या सुपरवाइजर को सूचित करें और चेकअप के बाद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट (रिपोर्ट) प्राप्त करें।
- अपने कार्यस्थल के नियमों का पालन करें। ये कायदे-कानून कार्यस्थल पर किसी खुली जगह पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
- एचआईवी तथा अन्य यौन संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए पूरी अहतियात बरतें।
- यातायात नियमों सहित कतर के बुनियादी कायदे-कानूनों और नियमों को जानने का पूरा प्रयास करें। उदाहरण के लिए, सड़क पार करने के लिए आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या सड़क के ऊपर बने पुल का ही प्रयोग करना चाहिए।
- स्थानीय भाषा यानी अरबी भाषा सीखें जिससे आपको फायदा होगा।
- वीजा, रेजिडेंस परमिट और रोजगार अनुबंध की मियाद खत्म होने से पहले ही उनका पुनर्नवीकरण कराएं। इन दस्तावेजों की मियाद खत्म होने से काफी पहले ही अपने नियोक्ता को इस बारे में सूचित कर दें।
- अगर आप कतर में अपने रोजगार अनुबंध के बीच कुछ समय

के लिए भारत आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके कतर लौटने से पहले आपके वीजा की मियाद खत्म नहीं होनी चाहिए।

- अपने पासपोर्ट की समाप्ति तिथि चेक करें। खयाल रखें कि आपका पासपोर्ट वैध हो। इसके समाप्त होने की तारीख से कम से कम दो महीने पहले दोहा स्थित भारतीय दूतावास या भारत स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) से उसका पुनर्वैधीकरण करवा लें।

ऐसा बिल्कुल न करें :

- कतर में अपने प्रवास के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि
    - भारी गरमी में काम करने के बाद कमरे में पहुंचने पर एयर कंडीशनर ऑन न करें; बहुत सारे मजदूर एक साथ भीषण गरमी और तेज ठंड की चपेट में आ जाने की वजह से दिल का दौरा पड़ने पर मर जाते हैं।
    - ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपको नई नौकरी दिलाने का वादा कर रहा है; अपने मूल प्रायोजक के अलावा किसी भी और व्यक्ति के पास स्थायी या अस्थायी नौकरी करना पूरी तरह निषिद्ध है और इसके लिए आपको कड़ी सजा दी जा सकती है।
    - अपने प्रायोजक/नियोक्ता से कर्जा न लें क्योंकि जब तक आप यह कर्जा नहीं चुका देंगे तब तक आपको एक्ज़िट परमिट यानी वापस लौटने का परमिट नहीं मिलेगा (इससे आप कर्ज बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी के जाल में बंध सकते हैं)।
    - गैर-कानूनी नशीली दवाएं या शराब बिलकुल न पिएं। जुए या राजनीतिक कार्यक्रमों से बिलकुल दूर रहें (ये निषिद्ध या

गैर-कानूनी गतिविधियां हैं)।

- इजाजत लिए बिना मस्जिद या किसी भी अन्य धार्मिक स्थल में प्रवेश न करें; अगर कोई गैर-मुसलिम ऐसे स्थानों पर पाया जाता है तो उसे सजा दी जा सकती है।
- नमाज/प्रार्थना के दौरान किसी को भी परेशान न करें; नमाज के समय किसी की भी चटाई पर या उसके आगे से न गुजरें; नमाज करते किसी भी व्यक्ति को न घूरें। यह अपमानजनक व्यवहार माना जाता है।
- लोगों को उंगली से इशारा न करें; इसे बेहद अभद्र व्यवहार माना जाता है।
- औरतों के साथ छेड़खानी करना, उनको घूरना या उनको आंखें दिखाना उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार है। ऐसा बिलकुल न करें।
- धर्म के बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी न करें।
- रमजान के दौरान दिन में सार्वजनिक स्थान पर खाना, पीना (यहां तक कि पानी भी) या फिर धूम्रपान बिल्कुल न करें; इस महीने के दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं।

भाग 6 : अनुबंध की समाप्ति/निर्गम (एक्ज़िट)

- अगर आपको किसी आपात स्थिति या छुट्टी के कारण कतर से लौटना पड़ता है तो आपको अपने प्रायोजक से एक्ज़िट परमिट लेना होगा। इस परमिट का बंदोबस्त आपके प्रायोजक की ओर से किया जाना चाहिए। कतरी श्रम कानून के तहत इस नियम में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में लगातार जानकारी लेते रहें।
- ख्याल रखें कि आपके नियोक्ता को आपका अनुबंध खत्म होने की

तारीख के बारे में अच्छी तरह पता हो। उसे पता होना चाहिए कि आप इसके बाद कतर में रहना चाहते हैं या भारत लौटना चाहते हैं।

- जब आपको रोजगार अनुबंध समाप्त हो जाए तो :
  - ➢ आपके मालिक को आपका एक्जिट परमिट दिलाने से पहले आपकी पूरी तनख्वाह का भुगतान कर देना चाहिए। एक बार एक्जिट परमिट पर मुहर लग जाने के बाद आप अपने मालिक से बकाया तनख्वाह का दावा नहीं कर सकते।
  - ➢ अगर आपने एक ही मालिक के पास कम से कम एक साल तक काम किया है तो आपको सेवा समाप्ति लाभ पाने का अधिकार है। यह राशि आपकी सहमति से तय की जा सकती है मगर यह राशि प्रति एक साल की नौकरी के बदले में तीन हफ्ते की तनख्वाह से कम नहीं होनी चाहिए। यह राशि संस्थान में मजदूर के आखिरी कार्यदिवस के बाद 7 दिनों के अंदर अदा कर दी जानी चाहिए।
  - ➢ नियोक्ता द्वारा रोजगार अवधि के दौरान इस्तेमाल के लिए दी गई सारी चीजें लौटा दें।
  - ➢ अपना रोजगार अनुबंध खत्म होने के बाद 90 दिनों के भीतर आपको कतर छोड़ देना होगा। इससे ज्यादा समय तक कतर में रहना गैर-कानूनी है।
- वापसी का टिकट आपको नियोक्ता द्वारा खरीदकर दिया जाएगा। यह अनुबंध की एक शर्त होती है।
- अगर आप लौट रहे हैं तो लौटने की तारीख के साथ इस बारे में भारत में अपने परिवार वालों को सूचना भेजिए।
- अगर आप अपना अनुबंध खत्म होने पर घर नहीं लौटना चाहते

हैं और आप अपने नियोक्ता के कुछ और समय तक नौकरी जारी रखने के आग्रह को मान लेते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए :

- अपने पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंस परमिट और चिकित्सा बीमा (यदि नियोक्ता की तरफ से दिया गया है) का पुनर्नवीकरण करा लें या नई स्थितियों के अनुसार उसका अद्यतन कराएं या प्रायोजक इस बारे में कार्रवाई शुरू करे।
- अपने परिवार वालों को अपनी इस योजना के बारे में सूचित करें।
- विदेशी एजेंट और स्थानीय एजेंट, दोनों को इस बारे में सूचित करें।
- कतर में भारतीय दूतावास को इस बारे में सूचित करें और अतिरिक्त अवधि के लिए अनुबंध का पुनर्नवीकरण कराएं।
- अपने अनुबंध/रेजिडेंस परमिट/रोजगार वीजा के पुनर्नवीकरण के लिए आपको अपने प्रायोजक/नियोक्ता को किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

- आपका मौजूदा रोजगार अनुबंध खत्म हो जाने के बाद अगर कोई अन्य नियोक्ता आपको नौकरी पर रखना चाहता है तो आपको अपने मौजूदा नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी - नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होगा। वैध एनओसी के बिना आप कतर में कोई नई नौकरी नहीं पकड़ पाएंगे।

भाग 7 : कतर में संपर्क के पते

क. भारतीय दूतावास, दोहा

पता : विला नम्बर 19, स्ट्रीट नम्बर 828

एरिया नम्बर 42, वाडी अल नील, ओल्ड हिलाल एरिया,
पोस्ट बॉक्स 2788, दोहा, कतर
टेलिफोन: 00-974-44255777; 44255700 (कार्यालयी घंटों के बाद)
ईमेल: ambassadorindia@qatar.net.qa एवं amb.doha@mea.gov.in (राजदूत);
indembdh@qatar.net.qa (सामान्य)

1. **अटैची (कॉन्सुलेट)**
टेलिफोन: 00974 -44255725 / 44255711
मोबाइल: 00974-33872462
cons.doha@mea.gov.in (काउंसलर)

2. **सहायक श्रम अधिकारी**
टेलिफोन: 00974-44255714
मोबाइल: 00974- 33451607

3. **दूतावास उप-प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन), समाज कल्याण शाखा, भारतीय दूतावास**
टेलिफोन: 00-974-44255704 (ऑफिस);
00-974-44275343 (आवास);
मोबाइल: 00-974-55572871
हैल्पलाइन: 00-974-44255708
ईमेल: dcm.doha@mea.gov.in

4. **सहायक श्रम अधिकारी, समाज कल्याण शाखा, भारतीय दूतावास**
टेलिफोन: 00-974-44255714 (ऑफिस);
00-974-44413731 (आवास)

मोबाइल: 00-974-33451607
ईमेल: labourofficer@qatar.net.qa

ख. इंडियन कम्युनिटी बेनेवॉलेंट फोरम (आईसीबीएफ)
पताः c/o भारतीय दूतावास, पोस्ट बॉक्स 2788, दोहा, कतर
मोबाइल: 00974- 55854791
ईमेल: icbfqatar@gmail.com; patil169@yahoo.com

ग. श्रम एवं सामाजिक मामले मंत्रालय (एमओएलएसए) कतर
पताः पोस्ट ऑफिस 36, सिटी टावर, दोहा कॉर्निशे, सिटी टावर के सामने, कतर एक्सचेंज की बगल में, दोहा, कतर
टेलिफोन: 00-974- 44241111/ 44241101
ईमेल: molsa@molsa.gov.qa

नोट्सः

नोट्सः

नोट्सः

यह पुस्तिका ***सेन्टर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन,***
नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई है।

टेलिफोन : 91-11-29541858 / 1841
वेबसाइट : www.cec-india.org
ईमेल : cec@cec-india.org

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन
पता : 617/3, भीमनगर, उजरियाँव, गोमतीनगर,
लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश, भारत
मोबाइल : 09236129724

कतर जाने वाले भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए

सूचना पुस्तिका

द्वारा प्रकाशितः

© सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

173-A, खिड़की गांव, मालवीय नगर,
नई दिल्ली - 110017
टेलिफोन : 91-11-29541858 / 1841
वेबसाइट : www.cec-india.org
ईमेल : cec@cec-india.org

सहयोग से:

यूनिसन इंटरनैशनल डेवलपमेंट फंड

ऐन्टी स्लेवरी इंटरनैशनल

भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन (बीएनकेएमयू)

व्यक्तिगत विवरण

नाम : ....

पता : ....

....

फोन : .... मोबाइल : ....

ईमेल : ....

पासपोर्ट नम्बर : ....

पासपोर्ट समाप्ति तारीख : ....

ब्लड ग्रुप : ....

कतर में रोजगार पाने के इच्छुकों, मौजूदा प्रवासी मजदूरों, वापस आ चुके मजदूरों और उनके परिवार वालों को सही जानकारियां मुहैया कराना इस सूचना पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है। इसमें बताया गया है कि कतर में काम करने वाले प्रवासी भारतीय मजदूरों को कौन-कौन से अधिकार मिलने चाहिए और अगर इन अधिकारों की अवहेलना होती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उनकी कैसे रक्षा की जा सकती है?

यह पुस्तिका इस बारे में भी जानकारियां देती है कि कतर में प्रवासी मजदूरों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिएं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संपर्कों की सूची भी दी गई है। लिहाजा, कतर में रहने और काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को यह पुस्तिका हमेशा अपने पास रखनी चाहिए।

इस पुस्तिका के निम्नलिखित भाग हैं:

1. अपने बारे में जरूरी सूचनाएं भरें
2. रवानगी से पहले
3. आगमन पर
4. अपने अधिकार जानें
5. कतर में सावधानियां
6. वापसी/कॉन्ट्रेक्ट खत्म होने पर
7. कतर में उपयोगी संपर्क

पीबीबीवाई पॉलिसी संख्या एवं जारी करने की तारीख : ....

....

पीबीबीवाई पॉलिसी जारी करने वाला विभाग : ....

....

एनआरई/एनआरओ (NRE/NRO) बचत बैंक खाता नम्बर :

....

बैंक का नाम : ....

शाखा : ....

आईएफएससी (IFSC)..

कौशल प्रमाणन : ....

....

भर्ती एजेंट का नाम : ....

एजेंट का फोन नम्बर : ....

एजेंट का पता : ....

यहां आपात स्थिति में संपर्क के लिए अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों का ब्यौरा लिखें :

(1) नाम : ....

संबंध : ....

पता : ....

टेलीफोन : ....

(2) नाम: ....

संबंध : ....

पता: ....

टेलीफोन: ....

कतर में

नियोक्ता/मालिक का नाम : ....

नियोक्ता का पता : ....

आपका पता : ....

आपका मोबाइल नम्बर : ....

आपका स्वास्थ्य बीमा : ....

बैंक खाते का ब्यौरा : ....

कार्य अनुबंध (contract) की प्रारंभ तिथि : ....

कार्य अनुबंध (contract) की समाप्ति तिथि : ....

कतर में प्रवेश की तारीख : ....

वीजा समाप्ति तारीख : ....

रेजिडेंस परमिट/IQAMA आईडी संख्या : ....

....

रेजिडेंस परमिट/IQAMA समाप्ति तारीख : ....

याद रखें :

- भारत का समय कतर से 2:30 घंटे आगे चलता है।
- कतर के लिए डायलिंग कोड 00-974 अथवा +974 है।
- भारत के लिए डायलिंग कोड 00-91 अथवा +91 है। कतर से किसी भारतीय नम्बर पर फोन मिलाने के लिए पहले 0091 डायल करें और उसके बाद अपने इलाके का कोड और उसके बाद फोन नम्बर डायल करें। किसी मोबाइल नम्बर पर फोन मिलाने के लिए 0091 या +91 डायल करें और उसके बाद 10 अंकों वाले मोबाइल नम्बर को डायल करें।
- कतर में पुलिस, फायर (अग्नि शमन) या एम्बुलेंस सेवा के लिए हेल्पलाइन नम्बर 999 है।

आपातकालिक संपर्क (भारत)

ऑफिस : प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

पता : अकबर भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021

टेलीफोन : +91-11-24197900 फैक्स : +91-11-24197919

ईमेल : info@moia.nic.in

आपातकालिक संपर्क (कतर)

ऑफिस : भारतीय दूतावास

पता : विला नम्बर 19, स्ट्रीट नम्बर 828

एरिया नम्बर 42, वाडी अल नील, ओल्ड हिलाल एरिया, पोस्ट बॉक्स 2788, दोहा, कतर

टेलीफोन : 00-974-44255704

24 घंटे हेल्पलाइन : **00-974-55572871**

ईमेल : dcm.doha@mea.gov.in; labourofficer@qatar.net.qa

भाग 2 : रवानगी से पहले

क्या करें

- कतर के श्रम कानूनों और कार्य एवं जीवन परिस्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें। ऐसे लोगों से सलाह और जानकारी लें जो हाल ही में कतर में काम कर चुके हैं।
- नौकरी दिलाने के झूठे वादों से बचकर रहें। अकसर ऐसा होता है कि भारत में आपको नौकरी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें दी गई तनख्वाह और काम का ब्यौरा कतर में आपको मिलने वाले रोजगार अनुबंध में दी गई तनख्वाह और काम के ब्यौरे से अलग होता है। नौकरी लेने से पहले ये सारी बातें एजेंट से अच्छी तरह पता कर लें।
- अनुबंध, भर्ती एजेंट और नियोक्ता की विश्वसनीयता के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने, भारत और कतर के रोजगार अनुबंध में फर्क, काम के दौरान लगने वाली चोट और विकलांगता, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों और तनख्वाह में नाजायज कटौती की सूरत में इनसे सलाह लें :

क) **प्रवासी संरक्षक (प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स - पीओई) - आपके क्षेत्र का पीओई दफ्तर रायबरेली में स्थित है।**

पता : पहली मंजिल, रुद्र प्लाजा, हॉस्पिटल रोड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

टेलीफोन : 0535-2211122/2211123

ख) **प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र एवं प्रवासी संसाधन केंद्र (ओवरसीज़ वर्कर्स रिसोर्स सेंटर ऐण्ड माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर)**

टोल फ्री नम्बर : 1800-11-3090 (भारत के लिए)

भुगतानशुदा/शुल्क कॉल नम्बर : +91-124-2341002 (विदेश में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए)

ईमेल : helpline@owrc.in, helpline@moia.nic.in

प्रवासी संसाधान केंद्र, लखनऊ, NRI सेल, UPFC ऑफिस, 18 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ – 226001
टेलिफोन : 0522-4954646

- सुरक्षित प्रवासन के बारे में सलाह और सहायता लेने के लिए निम्नलिखित ट्रेड यूनियन से संपर्क करें :

  भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन (बीएनकेएमयू)
  पता : 617/3, भीम नगर उजारियन, गोमती नगर,
  लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश
  टेलीफोन : +9554271852
  ईमेल : karmkarmajdoorunion@gmail.com

- रवाना होने से पहले आपके पास ये दस्तावेज जरूर होने चाहिएं :
  - ☐ अंतिम रोजगार अनुबंध जिसमें आपके काम की पाली/घंटों की संख्या, आपको कहां, क्या काम करना है, तनख्वाह, आवास और भोजन भत्ते, छुट्टियों और दूसरी बातों का पूरा ब्यौरा दिया गया हो।
  - ☐ रोजगार वीजा; कतर में आप 'आजाद' या फ्री वीजा के सहारे नौकरी नहीं कर सकते। यानी अगर आपके वीजा में आपके काम/मालिक का ब्यौरा नहीं दिया गया है तो आप वहां काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह, अगर आप यात्रा वीजा या पर्यटन वीजा पर गए हैं तो भी आप वहां काम नहीं कर सकते।
  - ☐ भारत के किसी बैंक में बचत बैंक एनआरई खाता खोलें ताकि उसमें अपनी आय भेज सकें।
  - ☐ कतर जाने के लिए एक वैध हवाई यात्रा टिकट।

- इस बात का खयाल रखें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि रजिस्टर्ड एजेंट, पीओई तथा भारत सरकार द्वारा की गई हो।
- अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां जरूर साथ रखें :
  - ☐ पासपोर्ट
  - ☐ रोजगार वीजा
  - ☐ रोजगार अनुबंध/डिमांड लेटर
  - ☐ पैसा भेजने के लिए भारत के बैंक और खाते का ब्यौरा
  - ☐ प्रवासी भारतीय बीमा योजना, पीबीबीवाई (पॉलिसी दस्तावेज)
  - ☐ भारतीय भर्ती एजेंट से संपर्क का पूरा ब्यौरा
  - ☐ कतर स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क का विवरण
  - ☐ यदि उपलब्ध हो तो नियोक्ता का विवरण।
- इन सारे दस्तावेजों की प्रतियां अपने परिवार के पास भी जरूर छोड़कर जाएं।
- कतर के लिए यात्रा पर रवाना होने से पहले सुनिश्चित करें कि :
  - ☐ आपका नाम और जहां आपको पहुंचना है उस जगह का पता आपके मुख्य बैग/सामान पर लगी पट्टी पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
  - ☐ अपने बैग/सामान पर एक छोटा पेडलॉक लगाएं और उसकी चाबी अपने हैंडबेग में रखें।
  - ☐ आपके सफरी कपड़े आरामदेह हों और कतर के माहौल के लिए सांस्कृतिक रूप से अनुकूल हों।
  - ☐ आप हमेशा कुछ पैसा (अमेरिकी डॉलर में) साथ रखें।

ऐसा कतई ना करें -

कतर के लिए रवानगी की तैयारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखें :

- ☐ बैग/सामान का भार यात्रा टिकट में दी गई भार सीमा से ज्यादा न हो।
- ☐ हैंड लगेज का वजन 7 किलो से ज्यादा बिलकुल न हो।
- ☐ अपनी दवाई के साथ डॉक्टरका पर्चा जरूर साथ रखें।
- ☐ हैंड लगेज में निषिद्ध वस्तुएं (जैसे, नुकीली/पैनी चीजें, शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ या बहुत सारा द्रव्य) न ले जाएं।
- ☐ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु (शराब, मादक पदार्थ, शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, अश्लील/पॉर्नोग्राफिक सामग्री , सुअर के मांस से बने उत्पाद या कोई पशु) अपने मुख्य लगेज में न ले जाएं।

भाग 3 : आगमन पर

ऐसा करें

- ☐ अच्छी तरह देख लें कि आपके पासपोर्ट पर आगमन के सबूत के तौर पर इमिग्रेशन मुहर लगी हुई हो।
- ☐ निर्धारित लगेज बेल्ट से अपना सही लगेज लें। अगर आपका लगेज गायब है तो आप गुमशुदा लगेज काउंटर से जाकर मदद मांग सकते हैं।

- [ ] स्थानीय एजेंट की सलाह के अनुसार विदेशी एजेंट प्रतिनिधि या नियोक्ता से मिलें। आप सही व्यक्ति से मिल रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान की पुष्टि करें।
- [ ] अपने परिवार को सूचित करें कि आप सुरिक्षत पहुंच गए हैं।
- [ ] कतर में अपने संपर्कों की एक प्रति अपने पास रखें और अपने परिवार को इन चीजों का ब्यौरा भेजें :
    - अपने नियोक्ता का पता
    - आपके कार्यस्थल से संबंधित सूचना
    - छात्रावास या स्थानीय पता
    - आपका फोन नम्बर
- [ ] अगर आपको कतर में पहुंचने पर नए अनुबंध पर दस्तखत करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस बात की पुष्टि कर लें कि इस अनुबंध में भी वही सेवा शर्तें और तनख्वाह बताई गई हो जो रवाना होने से पहले भारत में आपको बताई गई थीं। अगर आपको किसी तरह का संदेह होता है तो कतर स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
- [ ] दोहा स्थित भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में जाएं और
    - अपने रोजगार अनुबंध की पुष्टि कराएं।
    - अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मांगें।
    - अपने सभी दस्तावेजों की प्रतियां और स्थानीय विवरण वहां जमा कराएं।
- [ ] अपने दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें।
- [ ] कतर स्थित भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराएं। इसके लिए आप www.indianembassyqatar.org पर जाकर अपना

पंजीकरण करा सकते हैं।

- ☐ आपको अपनी चिकित्सा जांच करानी होगी। अगर आपको इस मेडिकल जांच में अयोग्य पाया जाता है तो आपको वापस भारत भेज दिया जाएगा।
- ☐ रेजिडेंस परमिट (आवास परमिट) हासिल करें। इसे वर्क परमिट या IQAMA भी कहा जाता है। यह आपको अपने नियोक्ता की ओर से बनवा कर दिया जाएगा। कतर में रहने वाले विदेशियों के लिए यह एकमात्र वैध पहचान दस्तावेज है। उनकी पहचान और उनके आवास के अधिकार का यही साक्ष्य होता है। अगर आपके पास यह कार्ड नहीं है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको जेल भेजा जा सकता है। जब आपका अनुबंध पूरा हो जाएगा तो कतर से वापस लौटने के लिए भी आपको इसकी जरूरत होगी।
- ☐ अपने पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट की प्रतियां अपने पास रखें। आप उनकी फोटो खींचकर फोन में भी रख सकते हैं।
- ☐ रेजिडेंस परमिट पाने पर आप अपने फोन के लिए सिम कार्ड ले सकते हैं।
- ☐ आपके नियोक्ता को आपका रेजिडेंस परमिट बनवाने के लिए आपके पासपोर्ट की जरूरत होगी मगर जैसे ही यह कार्रवाई पूरी हो जाए, आपको अपना पासपोर्ट वापस ले लेना चाहिए।

क्या न करें :

- ☐ कतर में अपने प्रवास के दौरान
  - अनुवाद या सलाह के बिना किसी दस्तावेज पर दस्तखत न करें।
  - भर्ती एजेंट/नियोक्ता को किसी तरह की फीस का भुगतान न करें।

- पासपोर्ट और वर्क परमिट जैसे कोई भी दस्तावेज किसी के भी हवाले न करें।
- आपके रोजगार अनुबंध में जिस नौकरी का उल्लेख किया गया है, उसके अलावा कोई और नौकरी न करें।
- रेजिडेंस परमिट या बीमा हासिल करने के लिए अपने नियोक्ता/प्रायोजक को कोई फीस न दें।
- खयाल रखें कि आपका पासपोर्ट कभी भी गुम न हो (अगर आपका पासपोर्ट किसी वजह से गुम हो जाता है तो नजदीकी भारतीय दूतावास को फौरन सूचित करें और उन्हें अपने पासपोर्ट की एक प्रति जमा कराएं)।
- भारत में आपको जो रोजगार अनुबंध दिया गया था उसकी प्रति बिलकुल गुम न होने दें।

भाग 4 : अपने अधिकार जानें

आपकी नौकरी और तनख्वाह

- आपको अधिकार है :
  - ➢ अपना पासपोर्ट, वर्क/रेजिडेंस परमिट और रोजगार संबंधी दस्तावेज अपने पास रखने का।
  - ➢ ऐसे काम से इनकार करने का जो अनुबंध में उल्लिखित काम के स्वरूप से भिन्न है।
  - ➢ आपको अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कतरी रियाल (क्यूआर) में तनख्वाह पाने का। अगर आपका नियोक्ता आपकी तनख्वाह रोककर रखता है या उसमें से गैर-वाजिब कटौतियां करता है तो ऐसा करना गैर-कानूनी है।
  - ➢ अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं, आपने नौकरी छोड़ दी है या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो भी आपको भुगतान किया जाना चाहिए।
- कतर में रहने वाले प्रवासी मजदूर के तौर पर आप कतरी श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि :
  - ➢ आप एक सप्ताह में 6 दिन या 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे।
  - ➢ आप प्रतिदिन 8 घंटे (मानक कार्य दिवस) काम करेंगे और उसके बीच आपको लंच, प्रार्थना/नमाज आदि के लिए एक घंटे का ब्रेक दिया जाएगा।
  - ➢ अगर आप ओवरटाइम काम करते हैं तो आपको अतिरिक्त वेतन मिलेगा (बेसिक वेतन + उसका कम से कम 25 प्रतिशत)।

- ➢ आपका नियोक्ता आपको प्रतिदिन 10 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- ➢ अगर आप शिफ्ट वर्कर नहीं हैं तो आपको हर शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी। अगर आप शुक्रवार के दिन काम करने को राजी हैं तो आपको बदले में किसी और दिन छुट्टी मिलेगी या उस दिन की बेसिक सेलरी तथा उसका 150 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा (मिसाल के तौर पर, अगर आपकी तनख्वाह QR 100 है तो उस दिन के बदले आपको QR 250 का भुगतान होना चाहिए।)
- ➢ आपको लगातार दो शुक्रवार को काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- ➢ बाहरी कार्यों में संलग्न निर्माण मजदूर के तौर पर आपको अधिकार है कि आप 15 जून से 31 अगस्त तक सुबह 11.30 बजे से शाम 3.00 बजे तक काम नहीं करेंगे। इसे वहां मिड डे वर्क बैनका नियम कहा जाता है।
- ➢ आपके प्रोबेशन की अवधि को 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता।

- कतरी श्रम कानून के तहत आपके नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि :
  - ➢ वह आपको काम पर भेजने से पहले कार्यस्थल पर पेश आने वाले संभावित खतरों के बारे में जानकारी दे।
  - ➢ अगर कंपनी में 100 से ज्यादा कामगार हैं तो आपको सुरक्षा संबंधी निर्देश, सुरक्षा एवं फर्स्ट ऐड उपकरण और पूर्णकालिक नर्स की सेवाएं उपलब्ध कराए।

छुट्टियां :

- आपको अधिकार है :
  - ➢ पूरी तनख्वाह सहित सभी सार्वजनिक अवकाश पाने का।
  - ➢ हर साल 3-4 सप्ताह सवेतन छुट्टी का, जो अनुबंध तथा सेवा की अवधि पर निर्भर करेगा; यह प्रावधान एक साल की लगातार नौकरी पूरी होने पर प्रभावी हो जाता है।
  - ➢ आपको 3 महीने काम करने के बाद वेतन सहित बीमारी छुट्टी दी जाएगी (इसके लिए डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा)।
  - ➢ साल भर में आपको अधिकतम दो हफ्ते की वेतन सहित बीमारी छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आपको आधी तनख्वाह सहित चार हफ्ते की अतिरिक्त छुट्टी भी मिल सकती है।
  - ➢ अगर कोई महिला कामगार एक साल से ज्यादा काम कर चुकी है तो उसे 50 दिन की वेतन सहित जचगी छुट्टी दी जाएगी।

अस्पताल में इलाज और बीमा

- कतरी श्रम कानूनों के तहत आपके मालिक की जिम्मेदारी है कि :
  - ➢ अगर आप काम के दौरान घायल होते हैं तो वह आपके इलाज की पूरी लागत उठाएगा और चोटों के बदले पूरा आर्थिक मुआवजा अदा करेगा।
  - ➢ डॉक्टर की सलाह के मुताबिक किसी कार्य संबंधी चोट या व्यावसायिक बीमारी के पूरे इलाज के दौरान आपकी तनख्वाह का भुगतान करेगा।

- ➢ चोट लगने पर पुलिस और भारतीय दूतावास के श्रम एवं समाज कल्याण विभाग को सूचित करेगा; आपकी ओर से भी दोनों जगह यह सूचना जानी चाहिए।

- निर्धारित अस्पतालों और क्लीनिकों में उपचार व दवाइयों के लिए आपको अपने हेल्थ कार्ड के अनुसार छूट और सुविधाएं मिलनी चाहिएं। आपको कुछ चीजों का उपचार निशुल्क मिलेगा या उनके लिए आपको बहुत मामूली फीस देनी होगी।
- आप पीबीबीवाई बीमा योजना के तहत फीस दिए बिना अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं और अगर भारत में इलाज कराया गया है तो इलाज के बिलों का रीइम्बर्समेंट यानी भुगतान ले सकते हैं।
- पीबीबीवाई टोल फ्री नम्बर **1-800-103-5499** है।
- किसी मजदूर की स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में आपको या आपके द्वारा नामित व्यक्ति को पीबीबीवाई के तहत न्यूनतम 10 लाख रुपये मुआवजा पाने का अधिकार है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
- कतरी श्रम कानून के तहत नियोक्ता/प्रायोजकों के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराएं ताकि उनकी कार्य संबंधी चोटों व बीमारियों की भरपाई की जा सके। इस बारे में नवीनतम जानकारियां लेते रहें।

विवाद

- कार्यस्थल संबंधी विवाद
  - ➢ कतरी श्रम कानून में प्रवासी मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने पर आपको वापस भेजा जा

सकता है या फिर आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करें।

- ➢ आपको जो रोजगार अनुबंध दिया गया है वह अंग्रेजी और अरबी, दोनों भाषाओं में होना चाहिए। भारतीय दूतावास या श्रम विभाग में दोनों दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच और पुष्टि करा लें ताकि दोनों में कोई भिन्नता न हों। यदि काम से संबंधित कोई भी विवाद पैदा होता है तो अरबी भाषा का अनुबंध ही वैध माना जाएगा।
- ➢ अगर तनख्वाह का भुगतान न होने या तनख्वाह में से नाजायज कटौतियां होने, छुट्टियों, अनुबंध की शर्तों, वर्क परमिट आदि को समय से पहले रद्द कर दिए जाने, काम पर लगी चोट या व्यावसायिक बीमारी के संबंध में नियोक्ता/प्रायोजक के साथ किसी भी तरह का विवाद होता है तो भारतीय दूतावास और श्रम विभाग से फौरन संपर्क करें।
- ➢ अगर कार्यस्थल संबंधी नियमों का उल्लंघन करने या मालिक की मशीनरी/उपकरणों को नुकसान पहुंचाने के बदले में आप पर जुर्माना लगया जाता है (जिसके लिए आपको लिखित सूचना मिलनी चाहिए) तो आप इस जुर्माने के खिलाफ नियोक्ता के समक्ष 7 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। अगर मामला हल नहीं होता है तो आप श्रम विभाग में अपील कर सकते हैं।

- अन्य विवाद :
  - ➢ अगर आपको पुलिस द्वारा रोका या गिरफ्तार किया जाता है तो पूछे जाने पर अपना सही नाम, पता और अन्य विवरण बताएं। अपना रेजिडेंस परमिट दिखाएं मगर उसे पुलिस के हवाले न

करें। ऐसी स्थिति में आप मदद के लिए भारतीय दूतावास या अपने नियोक्ता या किसी दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति/संगठन से मदद मांग सकते हैं।

- दबाव में कोई बयान न दें और न ही किसी ऐसे अपराध का दोष स्वीकार करें जिसके बारे में आप नहीं जानते। जब तक आपका वकील नहीं आता तब तक आप कोई बयान न देने का फैसला ले सकते हैं। अगर आपको अदालत ले जाया जाता है तो भारतीय दूतावास से सलाह लें। कानूनी कार्रवाई अरबी भाषा में की जाती है। ऐसी स्थिति में अनुवादक यानी दुभाषिये की मांग करें।
- यदि आपके प्रायोजक ने आपका वर्क परमिट निरस्त कर दिया है तो आप एनएचआरसी के आंतरिक मानवाधिकार विभाग मंत्रालय से 180 दिन के अस्थायी वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं। कतर में वीजा के बिना बिल्कुल न रुकें।

- सभी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों की स्थिति में आपको कतर स्थित भारतीय दूतावास, कतर श्रम विभाग, एनएचआरसी या कतर फाउंडेशन से जरूर संपर्क करना चाहिए।

क. कतर श्रम विभाग

- ✓ पता : सी रिंगरोड, रावदत अल खेल, दोहा, कतर
- ✓ टेलीफोन : (+974) 4406 554 or (+974) 4406 406 (भवन एवं निर्माण)
- ✓ फैक्स : 4406556
- ✓ हॉटलाइन : **8800-6611**(टोल फ्री) : प्रतिदिन 24 घंटे सक्रिय, केवल अरबी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध।

✓ ईमेल : labour_camp@mcsah.gov.qa

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति (नैशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी - एनएचआरसी)

✓ पता : फेरीज अब्दुल्ला अजीज एरिया (दोहा पेट्रोल स्टेशन के सामने), नासेर बिन खालिद इंटरसेशन डायरेक्शन, ओटाबी टावर, पोस्ट बॉक्स 23104

✓ टेलिफोन: (+974) 4408 844

✓ फैक्स: (+974) 444 4013

✓ हैल्पलाइन: **00-974-4444-4012**

✓ हॉटलाइन: **(+974) 666 26663**

✓ ईमेल: nhrc@qatar.net.qa

ग. कतर फाउंडेशन फॉर कॉम्बेटिंग ह्यूमन ट्रेफिकिंग (कतर मानव व्यापार विरोधी फाउंडेशन)

✓ पता: P.O. Box 55466 Doha, Qatar

✓ टेलिफोन: +974 4491 2888

✓ फैक्स: +974 4466 9222

✓ हॉटलाइन: **108**

✓ ईमेल: Info@qfcht.org.qa

✓ वेबसाइट: www.qfcht.org

- इस संबंध में आप वॉट्सऐप पर संदेश भेजकर बीएनकेएमयू से भी सलाह मांग सकते हैं :

घ. भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन (बीएनकेएमयू)

✓ मोबाइल: +91-9839231816 (वॉट्सऐप)

✓ ईमेल : help.bnkmu@gmail.com

- दोहा में भारतीय दूतावास का संपर्क पता भाग 1 में दिया गया है।

भारतीय दूतावास में अन्य महत्वपूर्ण संपर्कों और कतर में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) की सूची के लिए भाग 7 को देखें।

भाग 5 : कतर में इन बातों का ख्याल रखें

क्या करें :

- अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप बीमार पड़ते हैं और आप काम पर नहीं जा पाते हैं तो डॉक्टर से जांच कराएं और आराम करें। जल्दी से जल्दी नियोक्ता या सुपरवाइजर को सूचित करें और चेकअप के बाद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट (रिपोर्ट) प्राप्त करें।
- अपने कार्यस्थल के नियमों का पालन करें। ये कायदे-कानून कार्यस्थल पर किसी खुली जगह पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
- एचआईवी तथा अन्य यौन संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए पूरी अहतियात बरतें।
- यातायात नियमों सहित कतर के बुनियादी कायदे-कानूनों और नियमों को जानने का पूरा प्रयास करें। उदाहरण के लिए, सड़क पार करने के लिए आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या सड़क के ऊपर बने पुल का ही प्रयोग करना चाहिए।
- स्थानीय भाषा यानी अरबी भाषा सीखें जिससे आपको फायदा होगा।
- वीजा, रेजिडेंस परमिट और रोजगार अनुबंध की मियाद खत्म होने से पहले ही उनका पुनर्नवीकरण कराएं। इन दस्तावेजों की मियाद खत्म होने से काफी पहले ही अपने नियोक्ता को इस बारे में सूचित कर दें।
- अगर आप कतर में अपने रोजगार अनुबंध के बीच कुछ समय

के लिए भारत आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके कतर लौटने से पहले आपके वीजा की मियाद खत्म नहीं होनी चाहिए।

- ➢ अपने पासपोर्ट की समाप्ति तिथि चेक करें। खयाल रखें कि आपका पासपोर्ट वैध हो। इसके समाप्त होने की तारीख से कम से कम दो महीने पहले दोहा स्थित भारतीय दूतावास या भारत स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) से उसका पुनर्वैधीकरण करवा लें।

ऐसा बिल्कुल न करें :

- कतर में अपने प्रवास के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि
  - ➢ भारी गरमी में काम करने के बाद कमरे में पहुंचने पर एयर कंडीशनर ऑन न करें; बहुत सारे मजदूर एक साथ भीषण गरमी और तेज ठंड की चपेट में आ जाने की वजह से दिल का दौरा पड़ने पर मर जाते हैं।
  - ➢ ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपको नई नौकरी दिलाने का वादा कर रहा है; अपने मूल प्रायोजक के अलावा किसी भी और व्यक्ति के पास स्थायी या अस्थायी नौकरी करना पूरी तरह निषिद्ध है और इसके लिए आपको कड़ी सजा दी जा सकती है।
  - ➢ अपने प्रायोजक/नियोक्ता से कर्जा न लें क्योंकि जब तक आप यह कर्जा नहीं चुका देंगे तब तक आपको एक्ज़िट परमिट यानी वापस लौटने का परमिट नहीं मिलेगा (इससे आप कर्ज बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी के जाल में बंध सकते हैं)।
  - ➢ गैर-कानूनी नशीली दवाएं या शराब बिलकुल न पिएं। जुए या राजनीतिक कार्यक्रमों से बिलकुल दूर रहें (ये निषिद्ध या

गैर-कानूनी गतिविधियां हैं)।

- इजाजत लिए बिना मस्जिद या किसी भी अन्य धार्मिक स्थल में प्रवेश न करें; अगर कोई गैर-मुसलिम ऐसे स्थानों पर पाया जाता है तो उसे सजा दी जा सकती है।
- नमाज/प्रार्थना के दौरान किसी को भी परेशान न करें; नमाज के समय किसी की भी चटाई पर या उसके आगे से न गुजरें; नमाज करते किसी भी व्यक्ति को न घूरें। यह अपमानजनक व्यवहार माना जाता है।
- लोगों को उंगली से इशारा न करें; इसे बेहद अभद्र व्यवहार माना जाता है।
- औरतों के साथ छेड़खानी करना, उनको घूरना या उनको आंखें दिखाना उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार है। ऐसा बिलकुल न करें।
- धर्म के बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी न करें।
- रमजान के दौरान दिन में सार्वजनिक स्थान पर खाना, पीना (यहां तक कि पानी भी) या फिर धूम्रपान बिल्कुल न करें; इस महीने के दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं।

भाग 6 : अनुबंध की समाप्ति/निर्गम (एक्ज़िट)

- अगर आपको किसी आपात स्थिति या छुट्टी के कारण कतर से लौटना पड़ता है तो आपको अपने प्रायोजक से एक्ज़िट परमिट लेना होगा। इस परमिट का बंदोबस्त आपके प्रायोजक की ओर से किया जाना चाहिए। कतरी श्रम कानून के तहत इस नियम में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में लगातार जानकारी लेते रहें।
- ख्याल रखें कि आपके नियोक्ता को आपका अनुबंध खत्म होने की

तारीख के बारे में अच्छी तरह पता हो। उसे पता होना चाहिए कि आप इसके बाद कतर में रहना चाहते हैं या भारत लौटना चाहते हैं।

- जब आपको रोजगार अनुबंध समाप्त हो जाए तो :
    - ➢ आपके मालिक को आपका एक्जिट परमिट दिलाने से पहले आपकी पूरी तनख्वाह का भुगतान कर देना चाहिए। एक बार एक्जिट परमिट पर मुहर लग जाने के बाद आप अपने मालिक से बकाया तनख्वाह का दावा नहीं कर सकते।
    - ➢ अगर आपने एक ही मालिक के पास कम से कम एक साल तक काम किया है तो आपको सेवा समाप्ति लाभ पाने का अधिकार है। यह राशि आपकी सहमति से तय की जा सकती है मगर यह राशि प्रति एक साल की नौकरी के बदले में तीन हफ्ते की तनख्वाह से कम नहीं होनी चाहिए। यह राशि संस्थान में मजदूर के आखिरी कार्यदिवस के बाद 7 दिनों के अंदर अदा कर दी जानी चाहिए।
    - ➢ नियोक्ता द्वारा रोजगार अवधि के दौरान इस्तेमाल के लिए दी गई सारी चीजें लौटा दें।
    - ➢ अपना रोजगार अनुबंध खत्म होने के बाद 90 दिनों के भीतर आपको कतर छोड़ देना होगा। इससे ज्यादा समय तक कतर में रहना गैर-कानूनी है।
- वापसी का टिकट आपको नियोक्ता द्वारा खरीदकर दिया जाएगा। यह अनुबंध की एक शर्त होती है।
- अगर आप लौट रहे हैं तो लौटने की तारीख के साथ इस बारे में भारत में अपने परिवार वालों को सूचना भेजिए।
- अगर आप अपना अनुबंध खत्म होने पर घर नहीं लौटना चाहते

हैं और आप अपने नियोक्ता के कुछ और समय तक नौकरी जारी रखने के आग्रह को मान लेते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए :

- ➢ अपने पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंस परमिट और चिकित्सा बीमा (यदि नियोक्ता की तरफ से दिया गया है) का पुनर्नवीकरण करा लें या नई स्थितियों के अनुसार उसका अद्यतन कराएं या प्रायोजक इस बारे में कार्रवाई शुरू करे।
- ➢ अपने परिवार वालों को अपनी इस योजना के बारे में सूचित करें।
- ➢ विदेशी एजेंट और स्थानीय एजेंट, दोनों को इस बारे में सूचित करें।
- ➢ कतर में भारतीय दूतावास को इस बारे में सूचित करें और अतिरिक्त अवधि के लिए अनुबंध का पुनर्नवीकरण कराएं।
- ➢ अपने अनुबंध/रेजिडेंस परमिट/रोजगार वीजा के पुनर्नवीकरण के लिए आपको अपने प्रायोजक/नियोक्ता को किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

- आपका मौजूदा रोजगार अनुबंध खत्म हो जाने के बाद अगर कोई अन्य नियोक्ता आपको नौकरी पर रखना चाहता है तो आपको अपने मौजूदा नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी - नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होगा। वैध एनओसी के बिना आप कतर में कोई नई नौकरी नहीं पकड़ पाएंगे।

भाग 7 : कतर में सपंर्क के पते

क. भारतीय दूतावास, दोहा

पता : विला नम्बर 19, स्ट्रीट नम्बर 828

एरिया नम्बर 42, वाडी अल नील, ओल्ड हिलाल एरिया,
पोस्ट बॉक्स 2788, दोहा, कतर
टेलिफोन: 00-974-44255777; 44255700 (कार्यालयी घंटों के बाद)
ईमेल: ambassadorindia@qatar.net.qa एवं
amb.doha@mea.gov.in (राजदूत);
indembdh@qatar.net.qa (सामान्य)

1. **अटैची (कॉन्सुलेट)**
टेलिफोन: 00974 -44255725 / 44255711
मोबाइल: 00974-33872462
cons.doha@mea.gov.in (काउंसलर)

2. **सहायक श्रम अधिकारी**
टेलिफोन: 00974-44255714
मोबाइल: 00974- 33451607

3. **दूतावास उप-प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन), समाज कल्याण शाखा, भारतीय दूतावास**
टेलिफोन: 00-974-44255704 (ऑफिस);
00-974-44275343 (आवास);
मोबाइल: 00-974-55572871
हैल्पलाइन: 00-974-44255708
ईमेल: dcm.doha@mea.gov.in

4. **सहायक श्रम अधिकारी, समाज कल्याण शाखा, भारतीय दूतावास**
टेलिफोन: 00-974-44255714 (ऑफिस);
00-974-44413731 (आवास)

मोबाइल: 00-974-33451607
ईमेल: labourofficer@qatar.net.qa

ख. इंडियन कम्युनिटी बेनेवॉलेंट फोरम (आईसीबीएफ)
पताः c/o भारतीय दूतावास, पोस्ट बॉक्स 2788, दोहा, कतर
मोबाइल: 00974- 55854791
ईमेल: icbfqatar@gmail.com; patil169@yahoo.com

ग. श्रम एवं सामाजिक मामले मंत्रालय (एमओएलएसए) कतर
पताः पोस्ट ऑफिस 36, सिटी टावर, दोहा कॉर्निशे, सिटी टावर के सामने, कतर एक्सचेंज की बगल में, दोहा, कतर
टेलिफोन: 00-974- 44241111/ 44241101
ईमेल: molsa@molsa.gov.qa

नोट्सः

नोट्सः

नोट्सः

*यह पुस्तिका **सेन्टर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन,***
नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई है।

टेलिफोन : 91-11-29541858 / 1841
वेबसाइट : www.cec-india.org
ईमेल : cec@cec-india.org

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

भवन निर्माण कर्मकार मजदूर यूनियन
पता : 617/3, भीमनगर, उजरियाँव, गोमतीनगर,
लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश, भारत
मोबाइल : 09236129724